1-6-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत खोप पर प्रस्तुत हुयी। वादी रामभरोस स्वयं उपस्थित। वादी ने बताया कि वादग्रस्त आराजी ~~की~~ रामे के खातेदार द्वारा अन्य को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया है। वादी अब वाद को चलाना नहीं चाहता है। अतः वाद वादी नोट शीट के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदार होकर नम्बर से कम है तथा दफ्तर दाखिल हो।

Scanned by CamScanner